

270

394

प्रा.नि.गं/सतना/2018/0/617

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर म.प्र.

सर्किट कोर्ट कैम्प रीवा म.प्र.



1. बेवा कलावती गौतम पत्नी रामाधार गौतम उम्र 80 वर्ष पेशा कृषि चारो निवासी
2. देवेन्द्र गौतम पिता रामाधार गौतम उम्र 57 वर्ष अमरपाटन
3. मिथलेश गौतम पिता रामाधार गौतम उम्र 53 वर्ष तहसील अमरपाटन
4. सत्येन्द्र कुमार गौतम पिता रामाधार गौतम उम्र 35 वर्ष बिखा सतना म.प्र.
5. सुधा पुत्री रामाधार गौतम पत्नी रामेश्वर तिवारी निवासी ग्राम लखहा तहसील रामपुरबाघेलान जिला सतना म.प्र.
6. सरला पुत्री रामाधार गौतम पत्नी नीलेश तिवारी निवासी ग्राम लखहा तहसील रामपुरबाघेलान जिला सतना म.प्र.

.....निगरानीकर्तागण

बनाम

राघवेन्द्र गौतम तनय रामाधार गौतम उम्र 53 वर्ष पेशा खेती निवासी  
अमरपाटन जिला सतना म.प्र. .... गैरनिगराकार

निगरानी विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय  
श्रीमान् तहसीलदार महोदय रा.प्र.क्र.  
315अ27/16-17 आदेश दिनांक 28.02.  
2018

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.  
भू-राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

निगराकारगणों की ओर से निगरानी प्रस्तुत कर निम्नलिखित  
विनय करते है :-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गैर निगराकार निगरानीकर्ता द्वारा म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 ई. की धारा 178/109/110 के तहत आवेदन पेश किया, जिसमें निगरानीकर्तागण उपस्थित होकर अपने जबाब के साथ प्रकरण मे प्रथम दृष्टया प्रकरण के प्रचलनशीलता के बिन्दु पर आपत्ति इस आधार पर आपत्ति प्रस्तुत की गई कि आवेदक/निगराकनीकर्तागण आवेदित भूमियों का सहभूमिस्वामी नहीं है, इसलिये बटवारा/खाता विभाजन का आवेदन

मिथलेश गौतम देवेन्द्र कुमार कलावती सुधा सरला

270

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक... 11/11/18/1617... जिला... सतना

श्रीमती कलावती गोस्वामी विरुद्ध रायवेड प्रोत्सा

3

17-1-19

1. आवेदक की ओर से श्री अलगेड चौरसिया अधिवक्ता द्वारा यह ~~सतना~~ तहसीलदार तहसील रामपुर टायायलान के प्रकरण क्रमांक 315/32/16-12 में पारित आदेश दिनांक 28-2-18 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 5-3-19 को कलेक्टर सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।

सदस्य

AR

X